क्रम-संख्या–614

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 27, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2575-सत्रह-वि0-1--93-1978

लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1978)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5 सन् 1935 की धारा 4 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"(ई) तीस सितम्बर, 1974 के पश्चात् किन्तु पहली अप्रैल, 1978 के पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 के अध्याय 5 द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है ;

(एफ) पहली अप्रैल, 1978 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली किसी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा यथाप्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है।"

प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना

3—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्—

प्रथम अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

अनुच्छेद	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
1	2	3
	भाग 'क'	
	परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां	रु० पै०
एक—	भार विहीन 406 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो-साइकिलें सम्मिलित हैं)—	
	(क) मोटर बाइसिकिलें—	
	(1) 91 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	35.00
	(2) 91 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	55.00
	(ख) तीन पहिये वाली मोटर-साइकिलें	55.00
	(ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइड कार) को खींचने के लिये प्रयोग की जाने वाली मोटर बाइसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त।	7.00
दो—	केवल यात्रियों और हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए बनाई गयी और प्रयोग में लाई गयी गाड़ियां, जिनमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भार-विहीन वजन 406 किलोग्राम से अधिक हो—	
	(1) (क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	138.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1,270 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	182.00
	(ग) 1,270 किलोग्राम से अधिक किन्तु, 1,778 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	228.00
	(घ) 1,778 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	275.00
	(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर ..	31.00
तीन—	ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए बनाई गयी या प्रयोग के लिए अपनाई गई 406 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं :—	
	(एक) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय (न्यूमेटिक) टायर लगाये गये हों, और ..	
	(क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक वजन वाले, भार-विहीन ..	201.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1,778 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	344.00

1	2	3
		रु० पै०
	(ग) 1,778 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2,540 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	454.00
	(घ) 2,540 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3,556 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	663.00
	(ङ) 3,556 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5,080 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार–विहीन	854.00
	(च) 5,080 किलोग्राम वजन से अधिक वजन वाली भार–विहीन, 5,080 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1,016 किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए	354.00
	(छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर—–	
	(क) 1,016 किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिए ..	237.00
	(ख) 1,016 किलोग्राम से अधिक भार ले जाने के लिए ..	454.00

(दो) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार-विहीन) की गाड़ी के लिए देय समुपयुक्त कर, और उस पर 33 1/3 प्रतिशत अतिरिक्त सहित ;

(तीन) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार-विहीन) की गाड़ी के लिए देय समुपयुक्त कर और उस पर 66 2/3 प्रतिशत अतिरिक्त सहित :

प्रतिबन्ध यह है कि इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर की दर में निम्न-लिखित स्वामियों के वर्गों के सिवाय मोटर गाड़ियों के सभी स्वामियों के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात् :—

(क) एकल व्यक्ति ;

(ख) कोई म्युनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति ;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय ;

(घ) मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था ;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्याय ;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

भाग 'ख'

परिवहन गाड़ियां

चार—	यात्रियों और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां:—	
	(1) ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	303.00
	(2) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली ..	605.00
	(3) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) तीन पहियों वाली	605.00
	(ख) अन्य	757.00
	(4) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली प्रथम छः स्थानों के लिए	622.00
	छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	50.00
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो	33.00
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो	28.00

1	2	3
		रु० पै०
	(5) ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	1,419.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	61.00
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	1,139.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	50.00
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	974.00
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	33.00
	(6) ड्राइवर को छोड़कर बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली अन्तिम पूर्वोक्त खंड के अधीन प्रथम बत्तीस स्थानों के लिये देय कर और उसके अतिरिक्त बत्तीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	116.00
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो	83.00
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो ..	50.00
	स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, खड़े होने के स्वीकृत स्थान के (यदि कोई हो) पच्चास प्रतिशत की गणना बैठने के अतिरिक्त स्थान के रूप में की जायगी ।	
पांच—	सीमित संख्या में यात्रियों को ले जाने और सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां—	
	प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के सम्बन्ध में अनुच्छेद चार के अधीन देय कर और माल के प्राधिकृत भार के प्रत्येक 51 किलोग्राम के लिए अतिरिक्त कर—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो	17.00
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो	11.00
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	6.00
छः—	केवल माल के परिवहन के लिये चलने वाली गाड़ियां जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर से सम्बद्ध ट्रेलर नहीं हैं—	
	(1) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय टायर लगाये गये हों, और—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलोग्राम के लिए ..	385.00
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलोग्राम के लिये ..	14.00
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलोग्राम के लिए ..	347.00
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलोग्राम के लिए ..	11.00
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम 762 किलोग्राम के लिए ..	314.00
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त 51 किलोग्राम के लिए ..	9.00
	(2) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिए देय कर, और साथ ही उस पर 33 1/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर ;	
	(3) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर 66 2/3 प्रतिशत अतिरिक्त कर ।	

1	2	3
		रु० पै०
	छ : क---मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अध्याय 4 के अधीन चार या अधिक रोजनों में चलाई जाने के लिए अनज्ञेय माल गाड़ियां--अनुच्छेद छः और सात के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर 550 रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर।	
	सात--किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिए अभिप्रेत गाड़ियां--	
	क--श्रेणी के मार्ग के सम्बन्ध में अनुच्छेद चार, पांच या छः के अधीन देय समुपयुक्त कर, और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के 50 प्रतिशत से अनधिक का ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाय।	
	आठ--किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिनके संबंध में अनुच्छेद चार, पांच, छः और सात, में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिये ऐसे मार्ग या मार्गों, जिन पर ये अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किये गये किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिए, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो, 3 रुपये की दर से कर:	
	प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटर गाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो:	
	प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके संबंध में उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करें जिसके लिये उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा।	
	नौ--ट्रैक्टर--ट्रैक्टर 100 रुपया प्रति वर्ष की समान दर से कर।	
	दस--ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाने वाला ट्रेलर--	
	(एक) दो पहिये वाला	100.00
	(दो) अन्य	200.00

भाग 'ग'

स्पष्टीकरण

(1) जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा।

(2) 'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुरजे, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिये जब वह चलती हो आवश्यक हो और साधारण तया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

(3) 'प्राधिकृत भार' का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटा कर निकाला जा सके।

(4) 'वायवीय टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो।

(5) 'लचकीले टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे।

(6) 'लचीलापन रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचकीला टायर हो।

(7) यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका अनुच्छेद चार, पांच और सात के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायगी।

(8) किसी ऐसी मोटर गाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद चार से सात में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक मोटर गाड़ी समझा जायगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा नियत समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2575/XVII-V-1—93-1978

Dated Lucknow, September 18, 1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Gadi Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978 :

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT No, 29 OF 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the U. P. Motor Vehicles Taxation Act, 1935

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1978.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. V of 1935.

2. In section 4 of the U. P. Motor Vehicles Taxation Act, 1935, hereinafter referred to as the principal Act, in the Explanation, *for* clause (*e*), the following clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*e*) *for* the purposes of determination of the tax payable in respect of any period after the thirtieth day of September, 1974, but prior to the first day of April, 1978. the First Schedule as *substituted* by Chapter V of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 ;

(*f*) *for* the purposes of determination of the tax payable in respect of any period commencing on or after the first day of April, 1978, the First Schedule as *substituted* by the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1978."

Substitution of new Schedule for the First Schedule.

3. *For* the First Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely:

"THE FIRST SCHEDULE

(*See* SECTION 4)

Article	Description of vehicle	Annual rate of tax
1	2	3
	PART 'A'	Rs. P.
	Vehicles other than transport vehicels	
I.	Motor cycles (including scooters and auto-cycles) not exceeding 406 kgms. in weight, unladen:	
	(*a*) Motor cycles—	
	(1) not exceeding 91 kgms. in weight, unladen	
	(2) exceeding 91 kgms. in weight, unladen	

1	2	3
		Rs. P.
	(b) Motor tricycles	55.00
	(c) Motor cycles or tricylces used for drawing a trailer or a side-car in addition to the rate above.	7.00
II.	Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including motor cycles) weighing more than 406 kgms. unladen—	
	(1) (a) not exceeding 1,016 kgms. in weight, unladen	138.00
	(b) exceeding 1,016 kgms., but not exceeding 1,270 kgms., in weight unladen.	182.00
	(c) exceeding 1,270 kgms., but not exceeding 1,778 kgms., in weight, unladen.	228.00
	(d) exceeding 1,778 kgms., in weight, unladan	275.00
	(2) Trailers drawn by vehicles covered by this article	31.00
III.	Vehicles including motor cycles weighing more than 406 kgms. unladen, constructed, or adopted for use for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver):	
	(i) If fitted wholly with pneumatic tyres, and—	
	(a) not exceeding 1,016 kgms., in weight, unladen	201.00
	(b) exceeding 1,016 kgms., but not exceeding 1,778 kgms., in weight, unladen.	344.00
	(c) exceeding 1,778 kgms., but not exceeding 2,540 kgms., in weight, unladen.	454.00
	(d) exceeding 2,540 kgms., but not exceeding 3,556 kgms., in weight, unladen.	663.00
	(e) exceeding 3,556 kgms., but not exceeding 5,080 kgms., in weight, unladen.	854.00
	(f) exceeding 5,080 kgms. in weight, unladen, for every 1,016 kgms., or part thereof in excess of 5,080 kgms.	354.00
	(g) Trailers drawn by vehicles covered by this Article:—	
	(a) to carry load not exceeding 1,016 kgms.	237.00
	(b) to carry load exceeding 1,016 kgms.	454.00
	(ii) If fitted with resilient tyres, the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/3 per cent thereon ;	
	(iii) If fitted with non-resilient tyres, the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66 2/3 per cent thereon:	

Provided that the rate of tax specified in column 3 against Articles I, II and III of this Part shall be subject to an increase of 50 per cent in respect of all owners of motor vehicles except the following classes of owners, namely:—

(a) an individual ;

(b) a Municipal Board, Nagar Mahapalika, Zila Parishad, Notified Area Committee, Town Area Committee or Kshettra Samiti ;

(c) a University established by or under any law ;

(d) any recognised educational institution ;

(e) any public charitable trust ;

(f) any other class of persons using motor vehicles for public purposes specified by the State Government in this behalf by notification.

1	2	3
		Rs. P.
	PART 'B' **Transport Vehicles**	
IV.	Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers :—	
	(1) with seating capacity for not more than three persons exclusive of the driver.	303.00
	(2) with seating capacity for four persons exclusive of the driver ..	605.00
	(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons exclusive of the driver—	
	(a) three whellers	605.00
	(b) others	757.00
	(4) with seating capacity for more than six persons, but not more than twenty persons, exclusive of the driver, for the first six seats.	622.00
	With an addition for every seat in excess of six and up to twenty of—	
	(a) if intended for use on an A Class route	50.00
	(b) if intended for use on a B Class route	33.00
	(c) if intended for use on a C Class route	28.00
	(5) with seating capacity for more than 20, but not more than 32 persons exclusive of the driver—	
	(a) if intended for use on an A Class route for the first 20 seats .. for every additional seat	1,419.00 61.00
	(b) if intended for use on a B Class route for the first 20 seats .. for every additional seat	1,139.00 50.00
	(c) if intended for use on a C Class route for the first 20 seats .. for every additional seat	974.00 33.00
	(6) with seating capacity for more than 32 persons exclusive of the driver—the tax payable under the last foregoing clause for the first 32 seats with an addition for every seat in excess of 32 of—	
	(a) if intended for use on an A Class route	116.00
	(b) if intended for use on a B Class route	83.00
	(c) if intended for use on a C Class route	50.00
	Explanation—For the purposes of this Article, fifty per cent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity.	
V.	Vehicles plying for hire for the conveyance of limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods the tax payable under Article IV in respect of the authorised number of passenger seats, together with an additional tax for every 51 kgms. of authorised load of goods—	
	(a) if intended for use on an A Class route	17.00
	(b) if intended for use on a B Class route	11.00
	(c) if intended for use on a C Class route	6.00
VI.	Vehicles plying for the transport of goods only, ~~excluding trailers attached to tractors~~—	
	(1) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(a) if intended for use on an A Class route—	
	(i) for the first 762 kgms. of authorised load ..	38
	(ii) for every additional 5 kgms. of authorised load ..	

1	2	3
		Rs. P.
	(*b*) if intended for use on a B Class route—	
	(i) for the first 672 kgms. of authorised load ..	347.00
	(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load ..	11.00
	(*c*) if intended for use on a C Class route—	
	(i) for the first 762 kgms. of authorised load ..	314.00
	(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load ..	9.00
	(2) if fitted with resilient tyres the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres together with an addition of 33 1/3 per cent thereon.	
	(3) if fitted with non-resilient tyres the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with Pneumatic tyres together with an addition of 662/3 per cent thereon.	
VI-A.	Goods vehicle permitted to ply in an area covering four or more regions under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1939—the appropriate tax payable under Articles VI and VII together with an additional tax of Rs. 550 annually.	
VII.	Vehicle intended for use on a special route—the appropriate tax payable under Article IV, V or VI in respect of an A Clas route together with such additional tax not exceeding 50 per cent of such appropriate tax as may be prescribed.	
VIII.	Vehicles plying for hire in respect of which a tax has been paid under any of the Articles IV, V, VI and VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply, in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at the rate of Rs. 3 for every day or part thereof during which it is intended to use any such vehicles in such special or temporary circumstances :	
	Providing that nothing in this article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of specific journey :	
	Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.	
~~IX.~~	~~Tractor—Tax at a flat rate of Rs. 100.00 per annum~~ Subs. by 3/80	
X.	Trailer drawn by Tractor :—	
	(i) two wheelers Omit 3/80	100.00
	(ii) others	200.00

Part 'C'

Explanations

(1) Where any motor vehicle is used for various purposes or in such a manner as to cause to be taxable under more than one article of this Schedule the tax is payable at the highest appropriate rate.

(2) 'Unladen weight' means the weight of a vehicle when unladen, including all parts equipment, stores, fuel, water and accumulators which are necessary for an ordinarily used with the vehicle when working.

(3) 'Authorised load' means the maximum load of goods which the vehicle is permitted to carry and which can be arrived at by substracting the unladen weight of the vehicle from the registered laden weight.

(4) 'Pneumatic tyre' means a tyre containing air inserted by mechanical pressure.

1	2	3
		Rs. P.
	(5) 'Resilient tyre' means a tyre, not being a pneumatic tyre made of India made rubber and of such thickness as to protrude not less than ninteen millimeters beyond the rim of the wheel.	
	(6) 'Non-resilient tyre' means a tyre which is either a pneumatic tyre nor a resilient tyre.	
	(7) Where a motor vehicle is equipped with sleeping berths, each sleeping berth shall, for the purposes of Articles IV, V and VII, be regarded as the equivalent of two passenger seats.	
	(8) Every trailer attached to or drawn by a motor vehicle, which is taxable under either of Articles IV to VII, shall be regarded as a separate motor vehicle liable to the appropriate tax as prescribed by those Articles."	

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.